

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016...../राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रासद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण एवं मरम्मत कार्य के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन ₹ 23.56 लाख (रुपये तेइस लाख छप्पन हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

1. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण एवं मरम्मत कार्य के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग परिक्षेत्राधीन ₹ 23.56 लाख (रुपये तेइस लाख छप्पन हजार) मात्र के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	कार्य का नाम	प्रमंडल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)
1.	डिपूगढ़ा सिंचाई कॉलोनी, हजारीबाग में डीप बोरिंग एवं जलापूर्ति तथा अन्य कार्य	जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग	₹ 23.56

2. उपर्युक्त के आलोक में कुल ₹ 23.56 लाख से डिपूगढ़ा सिंचाई कॉलोनी, हजारीबाग डीप बोरिंग एवं जलापूर्ति तथा अन्य कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है। यह कार्य जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा कराया जायेगा। कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-
मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-66-नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45 निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
5. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
7. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

8. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- हजारीबाग कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- हजारीबाग उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/961/2016...../राँची, दिनांक 10.10.2017

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

14/10/17